<u>वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015</u>

राष्ट्रों के समूह में किसी देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक और वित्तीय बाजारों की बड़ी भूमिका होती है। ऐसी आर्थिक गतिविधियों के समृद्ध होने के लिए, नियमों की सरल रूपरेखा जो निवेशकों को प्रोत्साहित करती है और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है, एक पूर्व-आवश्यकता है। इसलिए, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ भारत को निवेश और व्यापार के लिए पसंदीदा गंतव्यों में से एक बनाने की दृष्टि से व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले कानूनों और नियमों को बनाने को उच्च प्राथमिकता दी है। इस संदर्भ में, सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 अधिनियमित किया।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) की सुविधा के लिए और ईओडीबी पर विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में और सुधार करने के लिए, सरकार ने 2018 में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन किया।

संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं:

<u>(क) निर्दिष्ट मूल्यों में कमी:</u> संशोधन अधिनियम ने किसी वाणिज्यिक विवाद के निर्दिष्ट मूल्य को एक करोड़ से घटाकर 3 लाख कर दिया। इसलिए, वाणिज्यिक अदालतों द्वारा उचित मूल्य के वाणिज्यिक विवादों का फैसला किया जा सकता है।

<u>(ख) जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना</u>: संशोधन अधिनियम उन क्षेत्रों के लिए जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है, जिन पर संबंधित उच्च न्यायालयों का सामान्य मूल दीवानी अधिकार क्षेत्र है अर्थात चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और हिमाचल प्रदेश राज्य के शहरों में।

<u>(ग) जिला न्यायाधीश स्तर से नीचे वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना:</u> संशोधन अधिनियम ने राज्य सरकारों को जिला न्यायाधीश से नीचे के स्तर पर जिलों में वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित करने में सक्षम बनाया।

<u>(घ) जिला न्यायाधीश स्तर पर अपीलीय न्यायालय की स्थापना</u>: संशोधन अधिनियम ने जिला न्यायाधीश स्तर से नीचे किसी वाणिज्यिक न्यायालयों के निर्णय या आदेश के खिलाफ जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालयों और सामान्य मूल दीवानी क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों के तहत आने वाले क्षेत्रों के लिए उस

उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग में अपील के लिए अपील के मूल प्रावधान किये।

(इ) संस्था-पूर्व मध्यस्थता और निपटान प्रक्रिया की शुरुआत: जहां कोई तत्काल, अंतरिम राहत पर विचार नहीं किया जाता है, पक्षकारों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित प्राधिकरणों के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों को हल करने के लिए पीआईएमएस के उपाय को समाप्त करना होगा। यह वाणिज्यिक विवादों के समाधान में निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने में भी मदद करेगा।

वाणिज्यिक न्यायालय (संस्था-पूर्व मध्यस्थता और निपटान) और वाणिज्यिक न्यायालय (सांख्यिकीय डेटा) नियम, 2018:

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 21क (1) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि *"केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।"*

सरकार ने निम्नलिखित नियमों को अधिसूचित किया है:

i. वाणिज्यिक न्यायालय (संस्था-पूर्व मध्यस्थता और निपटान) नियम, 2018: उक्त नियम में मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू करने, मध्यस्थता करने के लिए स्थान, मध्यस्थ की भूमिका, मध्यस्थता की प्रक्रिया, मध्यस्थता शुल्क आदि का प्रावधान है।
ii. वाणिज्यिक न्यायालय (सांख्यिकीय डेटा) नियम, 2018: उक्त नियम निर्धारित प्रारूप में वाणिज्यिक न्यायालयों से संबंधित डेटा का संग्रहण का प्रावधान करता है।

उपरोक्त नियमों को अप्रैल, 2020 में संशोधित किया गया था।